

(d) No such representation seems to have been received.

**Britain's Asian Immigration Bill**

76. SHRI S. M. BANERJEE : Will the VIDESH MANTRI be pleased to state :

(a) whether the Indians in England have raised their voice against Britain's Asian Immigration Bill;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) whether this question has also been taken up with the Government of U.K. ?

VIDESH MANTRALAYA MEN UP-MANTRI (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government is deeply concerned about some of the features of the Immigration Bill.

(c) Yes, Sir.

We have already communicated our views on the Bill to the British Government.

**Setting up of Special Alloy Steel Plant at Kanpur**

77. SHRI S. M. BANERJEE : Will the RAKSHA MANTRI be pleased to state :

(a) when the Special Alloy Steel Plant at Kanpur is likely to be set up,

(b) whether the entire programme is being delayed because of some foreign exchange difficulties; and

(c) if so, the steps taken by Government to overcome the said difficulty ?

RAKSHA MANTRALAYA (RAKSHA UTPADAN) MEN RAJYA MANTRI (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) The plant is likely to be set up in about 5 years from its sanction.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

**Setting up of Defence Production Board**

78. SHRI S. M. BANERJEE : Will the RAKSHA MANTRI be pleased to state :

(a) whether a final decision has been taken to set up the Defence Production Board at the Ministry level;

(b) if not, the reasons for the delay; and

(c) when the Board is likely to be established ?

RAKSHA MANTRALAYA (RAKSHA UTPADAN) MEN RAJYA MANTRI (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). The hon'ble Member has in mind perhaps the Ordnance Production Board which has been set up at the Ministry level with effect from May 1, 1971.

**दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्यकरण**

79. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना के क्या उद्देश्य थे;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना के बाद से दिल्ली तथा उसके उपनगरीय क्षेत्रों में भूमि के मूल्यों में किस सीमा तक वृद्धि हुई है;

(ग) भूमि के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा इस दिशा में उसे कहीं तक सफलता मिली है; और

(घ) भविष्य में निम्न तथा माध्यम आय वाले वर्गों के लोगों को सस्ते मूल्यों पर भूमि दिलाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में राक्ष**

मंत्री (श्री झाई० के० गुजराल) : (क) बृहत् योजना के अनुसार दिल्ली के विकास को बढ़ावा देना तथा सुनिश्चित करना ।

(ख) कोई मादात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ग) तथा (घ). निम्न तथा माध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को प्लाट अर्जन, विकास आदि की लागत पर आधारित दरों पर आबंटित किये जाते हैं । कुछ मामलों में दर, मुख्यतः निम्न कारणों से बढ़ गई है :

- (i) न्यायालयों द्वारा भूमि के मुआवजे का बढ़ाया जाना ।
- (ii) विकास की लागत में वृद्धि, इसमें दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा मांगी गई बिजली की लागत भी शामिल है ।
- (iii) छोटे प्लॉटों के अधिक संख्या में काटने हेतु ले-आऊट प्लान में परिवर्तन ।

मामले की जाँच के लिये एक समिति नियुक्ति की गई है ।

निम्न और मध्यम आय वाले वर्गों के व्यक्तियों को भूखण्डों का आबंटन

80. श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट : क्या निर्वाण और झावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न भागों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि के लिए दिये गये मुआवजे की दरें क्या हैं और विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की भूमि के विकास पर उसके द्वारा किये गये प्रति वर्ग मीटर व्यय की राशि कितनी है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक गन तीन वर्षों में नीलाम किये गये और आबंटित किये गये भूखण्डों की प्रति वर्ग मीटर दरें क्या हैं; तथा तत्संबंधी वर्ष-वार व्योरा क्या है; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में विकसित भूखण्डों की नीलामी द्वारा बिक्री करके भारी मुनाफा कमाने और निम्न और मध्यम आय वर्गों वाले व्यक्तियों के लिये लाटरी द्वारा या उचित दरों पर आबंटन न करने के क्या कारण हैं ?

निर्वाण और झावास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री झाई० के० गुजराल) : (क) दिल्ली में भूमि दिल्ली प्रशासन द्वारा अर्जित की जाती है तथा मुआवजा दिया जाता है । मुआवजे की दर का निश्चित निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि बढ़ोत्तरी तदन्तर न्यायालय द्वारा अक्सर दी जाती है । तथापि, उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदित विभिन्न क्षेत्रों के लिए अर्जन का पूलित मूल्य लगभग 5 रुपये से 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच होता है जो अर्जित भूमि की स्थिति पर निर्भर है । प्रत्येक योजना के विकास की लागत भी पृथक-पृथक होती है । विकासार्थ लिए गये सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए यह लगभग 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर होती है ।

(ख) सूचना मालूम की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) विकसित भूमि का नीलामी द्वारा निपटान करना सरकार की नीति है, सिवाय निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के जैसे उन मामलों में जो अपवाद स्वरूप श्रेणियों में आते हैं, उन्हें लाटरी द्वारा रिहायशी प्लाट पूर्व निर्धारित (अधिग्रहण की तथा विकास इत्यादि की लागत पर आधारित) दरों पर आबंटित किये जाते हैं । नीलामी के लिए प्लाटों के विकास के साथ-साथ, दिल्ली विकास प्राधिकरण निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के आबंटन के लिए प्लाटों को विकसित भी कर रहा है ।